P.O-II

(29)

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्
द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

SWSHE
School Water Sanitation & Hygiene Education Cell

फोन नं: 0141–2708487 E-Mail:- swshecell@hotmail.com फैक्स नं: 0141–2708487

क्रमांक : F.5 (4) (143)/RCEE/SWSHE/SVP/2017/ 6469 दिनांक 08/9/17

जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि./मा.शि.
एवं जिला परियोजना समन्वयक
SSA/RMSA
जिला–समस्त

विषयः– भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय स्तर के "स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार" 2017–18 के क्रम में।

सन्दर्भः– मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 सितम्बर 2017 को जारी स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2017 –18 के दिशा निर्देश।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं में स्वच्छता, पेयजल की शुद्धता एवं स्वास्थ्यप्रद आदतों के विकास के उद्देश्य से गत वर्ष की भांती इस वर्ष भी 'स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार' 2017–18 प्रारम्भ किया गया है। इसके तहत निर्धारित मापदण्डानुसार राजकीय (राज्य व केन्द्र सरकार) एवं निजी विद्यालयों को जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। इस पुरस्कार के लिए प्रत्येक विद्यालयके प्रधानाध्यापक द्वारा ऑन लाईन 01 सितम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2017 तक आवेदन किया जाएगा। आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है :–

(i) प्रत्येक राजकीय व निजी विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा http://www.swachhvidyalaya.com/login.aspx पर विद्यालय को रजिस्टर करने के पश्चात लॉगइन किया जा सकता हैं अथवा स्मार्ट फोन द्वारा 07097298093 पर मिस्डकॉल/Google Play store or Apple Istore से App इन्स्टाल करके आवेदन किया जा सकता है।

(ii) स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की वेबसाइट पर विद्यालय का पंजीयन विद्यालय के डाइस कोड नम्बर से ऑन लाइन ही किया जा सकेगा।

(iii) विद्यालय को समस्त सूचनाओं की ऐन्ट्री ऑन लाईन उपलब्ध फारमेट में ही करनी है। प्रत्येक गतिविधि का, विद्यालय में उपलब्ध सुविधा का Latest फोटो अपलोड करना आवश्यक होगा।

(iv) वांछित सूचनाओं से सम्बन्धित समस्त जानकारी वेबसाईट पर How to Apply Option पर उपलब्ध है। वेवसाईट पर पंजीयन तथा अन्य संबंधी किसी भी जानकारी के लिए श्री गिरीश भारद्वाज, हाईजीन अधिकारी से फोन नम्बर 0141–2708787 पर संपर्क किया जा सकता है।

(v) विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं उनके रख–रखाव के स्तर के आधार पर विद्यालय के प्राप्तांकों का निर्धारण होगा। इसके तहत पेयजल सुविधा (22 अंक) शौचालय/मूत्रालय (28 अंक), साबुन से हाथ धोने की सुविधा (20 अंक) सुविधाओं का उपयोग व रख–रखाव (15 अंक) तथा व्यवहारगत परिवर्तन तथा क्षमतावर्धन के (15 अंक) के आधार पर कुल प्राप्तांकों से विद्यालय का स्तर अंकन होगा। ऑन

www.rajteachers.com

लाईन फार्मेट के प्रत्येक स्तर के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा, तभी आवेदन के आगामी सेक्शन पर जाया जा सकेगा। अन्तिम रूप से सबमिट किए जाने से पूर्व प्रश्नों के उत्तरों को संशोधित करने का विकल्प भी ऑनलाईन उपलब्ध है। ऑनलाईन प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर Apps द्वारा स्वतः विद्यालय को निर्धारित अंक दिया जाएगा।

(vi) Apps द्वारा स्वतः नम्बर इस प्रकार दिए जाएगे, जिसकी सूचना विद्यालय, जिला एवं राज्य को ऑन लाईन प्राप्त होगी :–

प्राप्तांक	स्टार रेटिंग	स्तर
90% से 100%	*****	श्रेष्ठ
75% से 89%	****	बहुत अच्छा
51% से 74%	***	अच्छा, किन्तु सुधार अपेक्षित
35% से 50%	**	ठीक है, विशिष्ट प्रयास अपेक्षित
35% से नीचे	*	ठीक नहीं, विशिष्ट प्रयास अपेक्षित

जिला स्तरीय पुरस्कार

चयनित विद्यालयों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर शहरी एवं ग्रामीण विद्यालय अनुसार पुरस्कृत किया जाएगा। ऑन लाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक पश्चात जिला स्तरीय समिति द्वारा ऑन लाईन ग्रेडिंग अनुसार विधालयों का चयन किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति में निम्नांकित जिला स्तरीय अधिकारी होगें :–

1- जिलाधीश या उनके द्वारा नामित अधिकारी–अध्यक्ष

2- जिला शिक्षा अधिकारी

3- अधीक्षण अभियन्ता, पी.एच.ई.डी.

4- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO)

5- दो सदस्य सिविल सोसायटी/एन.जी.ओ.

शहरी क्षेत्र चयन (कूल 12 विद्यालय)

(अ) शहरी क्षेत्र के 02 विधालयों (एक प्रारम्भिक व एक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) का चयन सर्वोच्च प्राप्तांकानुसार जिला स्तरीय पुरस्कार हेतु किया जाएगा। जिनका स्तर App द्वारा दिए गए 5 स्टार स्तर से नीचे का नहीं होगा।

(ब) उपरोक्त के अतिरिक्त शहरी क्षेत्र के 10 और विद्यालय सर्वोच्च प्राप्तांक के अनुसार पुरस्कृत किए जाऐगें किन्तु इनमें से कोई भी विद्यालय 5 स्टार स्तर से नीचे का नहीं होगा।

ग्रामीण क्षेत्र विद्यालय चयन (कूल 36 विद्यालय)

(अ) सर्वोच्च अंक प्राप्त 3 प्रारम्भिक एवं 3 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के (कुल 6) विद्यालयों का चयन जिला स्तरीय पुरस्कार हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। इनमें से कोई विद्यालय 5 स्टार स्तर से नीचे का नहीं होगा।

(ब) उपरोक्त के अतिरिक्त 15 प्रारम्भिक एवं 15 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक (कुल 30) विधालयों को जिला स्तर पर सर्वोच्च प्राप्तांकानुसार जिला स्तरीय पुरूस्कार हेतु चयन किया जाएगा। इनमें से कोई भी विद्यालय Apps द्वारा स्वतः प्राप्त 5 स्टार स्तर से नीचे का नहीं होगा।

www.rajteachers.com

राज्य स्तरीय पुरुस्कार

जिला स्तरीय चयनित विद्यालयों में से कुल 40 (20 प्रारम्भिक स्तर व 20 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों का) राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु विद्यालयों (प्रत्येक 20 में से 5 शहरी क्षेत्र तथा 15 ग्रामीण क्षेत्र के) का चयन किया जाएगा, जिनका न्यूनतम स्तर 5 स्टार होगा। यदि 5 स्टार स्तर के विद्यालय अधिक है तो उन विद्यालयों का चयन किया जाएगा जिनकी सभी क्षेत्रों में ग्रेड 5 स्टार होगी।

राज्य स्तरीय पुरस्कार के चयन हेतु शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा चयन किया जाएगा। इस कमेटी में :-

1. शिक्षा सचिव या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि
2. निदेशक (स्कूल शिक्षा प्रारम्भिक/माध्यमिक)
3. निदेशक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)
4. दो शिक्षाविद् (संस्था प्रधान, शासन सचिव शिक्षा द्वारा नामित)
5. मुख्य अभियन्ता, पी.एच.ई.डी.
6. निदेशक (पंचायतीराज)
7. निदेशक (स्वायत्त शासन विभाग)
8. दो सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि

राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित समस्त 40 विद्यालयों को राज्य स्तर पर सम्मानित (प्रमाण पत्र देकर) किया जाएगा।

राष्ट्रीय पुरस्कार (केवल 5 स्टार स्तर वाले विद्यालयों हेतु)

राष्ट्रीय स्तर पर कुल 100 प्रारम्भिक एवं 100 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तरीय विद्यालयों (प्रत्येक स्तर के 30 शहरी व 70 ग्रामीण विद्यालयों) को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। प्रत्येक पुरस्कृत विद्यालय को रु. 50,000/- (रूपये पचास हजार) का अतिरिक्त विद्यालय अनुदान देय होगा।
राज्य स्तर पर चयनित 40 विद्यालयों में से ही अधिकतम प्राप्तांकों वाले 5 स्टार ग्रेड के विद्यालयों में से ही राष्ट्रीय पुरस्कारों हेतु चयन किया जाएगा।
राष्ट्रीय पुरस्कारों हेतु नामित 100 विद्यालयों का भौतिक सत्यापन एवं मोनिटरिंग आदि राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा।
(iv) इनके अतिरिक्त देश के 10 जिलों को भी राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा जिनमें सर्वाधिक विद्यालय 5 स्टार ग्रेड के अन्तर्गत आएंगें।

टाइम लाईन

1. विद्यालय द्वारा ऑन लाईन आवेदन – 1 सितम्बर से 31 अक्टूबर 2017
2. जिला स्तर पर पुरस्कार हेतु विद्यालय चयन एवं राज्य स्तर पर सूचना प्रेषित करना – 1 नवम्बर से 31 नवम्बर 2017
3. राज्य स्तरीय चयन – 1 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2017
4. राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार हेतु चयनित विद्यालयों की राज्य सरकार द्वारा MHRD को सूचना सम्प्रेषण – 7 जनवरी 2018 तक
5. राष्ट्रीय स्तर पुरूस्कार हेतु विद्यालयों का चयन – 31 मार्च 2018

www.rajteachers.com

अतः निर्देशित किया जाता है कि सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों तथा पंचायत शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाए कि प्रत्येक विद्यालय "स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार" हेतु 1 सितम्बर से 31 अक्टूबर 2017 के मध्य आवश्यक रूप से ऑन लाईन आवेदन करें। आवेदन की अनुपालना रिपोर्ट से भी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय को 10 नवम्बर 2017 तक आवश्यक रूप से अवगत कराया जाए।

(नरेश पाल गंगवार)
शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

क्रमांक : F.5 (4) (143)/RCEE/SWSHE/SVP/2017/ 6470 दिनांक 08/9/17

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, आयुक्त, रा.प्रा.शि.प., जयपुर
3. निजी सचिव, निदेशक, रा.मा.शि.प, जयपुर
4. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना), शासन सचिवालय राजस्थान, जयपुर
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
6. जिला कलैक्टर, जिला–समस्त
7. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, रा.प्रा.शि.प., जयपुर
8. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक,रा.मा.शि.प, जयपुर
9. नियंत्रक (वित्त), रा.प्रा.शि.प., जयपुर
10. जिला प्रभारी अधिकारी, रा.प्रा.शि.प., जयपुर
11. उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा, संभाग–समस्त
12. राज्य समन्वयक PSPC Cell, शिक्षा संकूल, जयपुर
13. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, SSA/RMSA जिला–समस्त
14. रक्षित पत्रावली

(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त, रा.प्रा.शि.प

www.rajteachers.com